...का संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
07/04/2022	**प्रमण्डलीय आयुक्त का न्यायालय, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची** **एस0 ए0 आर0 पुनरीक्षण 517 / 1996** **सुरेश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव एवं श्रीमती कुमुद श्रीवास्तव** प्रश्नगत् पुनरीक्षण आवेदन उपायुक्त, राँची द्वारा अपील वाद संख्या-3-R15/1996-97 में पारित आदेश के विरूद्ध दायर की गयी थी। यह पुनरीक्षण इस न्यायालय में विगत् 26 वर्षों से विभिन्न कारणों से लम्बित है। इस दौरान मूलः आवेदक एवं विपक्षी की मृत्यु हो चुकी है, जिन्हें प्रतिस्थापित किया जा चुका है। इस वाद में पूर्व में भी सुनवाई हुई थी किन्तु आदेश पारित नहीं होने के कारण वाद लम्बित रहा। अंततः दिनांक–21.03.2022 उभय पक्षों को सुना गया। पक्षकारों के द्वारा लिखित बहस भी दायर है। आवेदकों का मुख्य दावा प्रश्नगत् भूमि के छप्परबंदी होने के आधार पर है। उनका कथन है कि पूर्ववर्ती जमीन्दार द्वारा दिनांक–14.07.1952 में छप्परबंदी के किये गये बंदोबस्ती के आधार पर यह भूमि छप्परबंदी है तथा भूमि वापसी का दावा पूर्णतः गलत है। प्रश्नगत् भूमि वापसी वाद में कुछ अन्य पक्षकारों को शामिल नहीं किया गया है। प्रश्नगत् भूमि छप्परबंदी होने के बाद खतियानी रैयत द्वारा उसे सुरजनाथ प्रसाद को दिनांक–14.07.1952 के निबंधित केवाला से बिक्री कर दिया गया, जिनके द्वारा 1968 में उक्त भूमि को अपने पुत्र मृत्युंजय प्रसाद को बिक्री की गयी। उक्त बिक्री के पश्चात् उनके नाम से नामान्तरण हुआ एवं विधिवत् नक्शा पारित कराते हुये विभिन्न व्यक्तियों को भूमि की बिक्री की जाती रही। इस प्रकार प्रश्नगत् भूमि पर 1969 के पूर्व से ही निर्माण अवस्थित थे। भूमि वापसी का यह दावा पूर्वतः कालबाधित भी है। सुनवाई के दौरान आवेदकों के तरफ से यह कहा गया कि उपायुक्त के आदेश में मुआवजा भुगतान हेतु निदेशित किया गया है किन्तु धारा–71 परन्तुक–2 अथवा 3 का उल्लेख नहीं है। विपक्षी के तरफ से कहा गया कि विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर आवेदकों के तरफ से दिये गये मनगंढ़त कहानियों को विश्वास करते हुये भूमि वापसी के आवेदन को खारिज किया गया। उपायुक्त न्यायालय द्वारा इस आदेश को रद्द करते हुये प्रश्नगत् भूमि का मुआवजा निर्धारण हेतु पुनः विशेष विनियमन पदाधिकारी के समक्ष वाद को	

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रेषित किया गया है। कथित रूप से खतियानी रैयत साधना मुण्डा द्वारा अपने भूमि को छप्परबंदी घोषित करने हेतु जमीन्दार के समक्ष आवेदन दिया गया तथा दिनांक–14.07.1952 को छप्परबंदी घोषित करने के पूर्व दिनांक–07.07.1952 को सुरजनाथ प्रसाद को भूमि की बिक्री हो गयी। यह भी स्पष्ट होता है कि आवेदकों को पूर्वजों द्वारा मात्र 10 कट्ठा 15 छटांक भूमि क्रय की गयी थी तथा शेष 25 कट्टा भूमि अवैध तरीके से अपने प्लॉट में मिला दी गयी। आदिवासी खतियानी रैयती भूमि को भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा छप्परबंदी घोषित किया जाना पूर्ण तरीके से अवैध है। आवेदकों के तरफ से विशेष विनियमन पदाधिकारी के समक्ष कोई कागजात भी प्रस्तुत नहीं किये जा सके थे। स्पष्टतः आदिवासी रैयती भूमि को अवैध कागजातों के आधार पर विपक्षियों के द्वारा दखल करतु हुये उक्त भूमि पर 1971 के पश्चात् निर्माण किये गये। स्पष्टतः यह भूमि वापसी वाद कालबाधित नहीं है।

उभयपक्षों के तरफ से दायर लिखित बहस, तथा सुनवाई एवं निम्न न्यायालय के अभिलेखों से यह स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत् भूमि साधना मुण्डा के नाम से रैयती आदिवासी खाते की भूमि है। आवेदकों का दावा उक्त भूमि के छप्परबंदी होने के कारण भूमि वापसी का दावा संधारण योग्य नहीं होने से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि कथित छप्परबंदी बंदोबस्ती का निबंधन दिनांक–14.07.1952 को किया गया है, जबकि उक्त भूमि की बिक्री सुरजनाथ प्रसाद को इस तिथि के पूर्व कर दी गयी थी। इसी आधार पर प्रश्नगत् भूमि को आवेदक लगातार छप्परबंदी होने का दावा कर रहे हैं। सुरजनाथ प्रसाद द्वारा 1968 में अपने पुत्र मृत्युंजय प्रसाद को उक्त भूमि भेंट की गयी, जिनके द्वारा अन्य व्यक्तियों को भूमि हस्तांतरित की जाती रही। विचारणीय है कि वर्ष–1952 में आदिवासी रैयती भूमि का इस प्रकार से हस्तांतरण उपायुक्त की अनुमति से प्राप्त किये बिना किया जाना पूर्णतः अवैध था। 1968 में किये गये गिफ्ट डीड से यह स्पष्ट होता है कि उक्त समय इस भूमि पर कोई निर्माण अवस्थित नहीं था। दिनांक–27.04.1971 एवं 18.04.1972 में भूमि के हिस्सों की बिक्री की गयी। उक्त समय भी प्रश्नगत् भूमि पर कोई निर्माण का उल्लेख डीड में नहीं थे। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि भूमि पर किये गये सभी निर्माण Schedule Area Regulation–1969 के लागू होने के पश्चात् किये गये है। उपायुक्त न्यायालय द्वारा सभी बिन्दुओं पर विवेचना करते हुये तथा आवेदकों के निर्माण को देखते हुये प्रश्नगत् मामले में मुआवजा भुगतान का आदेश पारित किया गया। आवेदकों के द्वारा उक्त मुआवजा भुगतान नहीं

... का ...संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
	किया गया तथा इस न्यायालय में अपील दायर कर 26 वर्षों तक उक्त अपील लम्बित रही। इतने लम्बे समय के अंतराल के पश्चात् आवेदकों के तरफ से यह बिन्दु उठाया गया कि उपायुक्त के आदेश से धारा–71ए के परन्तुक–2 या 03 के संबंध में उल्लेख नहीं है। स्पष्टतः आवेदक के द्वारा मुआवजा भुगतान से बचने के लिये इस प्रकार के बिन्दु उठाये गये है। यदि उनकी मंशा होती तो वे इतने वर्षों तक उपायुक्त के न्यायालय से स्थिति को स्पष्ट करवा सकते थे, जो उनके द्वारा नहीं किया गया है। इस प्रकार मूल आदिवासी के उत्तराधिकारियों को इतने वर्षों तक भूमि वापसी अथवा भूमि का मुआवजा प्राप्त नहीं हो सका। स्पष्टतः यह सम्पूर्ण कार्रवाई काश्तकारी अधिनियम के मूल भावना के विपरित है। वर्णित परिस्थिति में इस पुनरीक्षण आवेदन को खारिज किया जाता है तथा आवेदकों को निदेशित किया जाता है कि वे उपायुक्त द्वारा दिये गये निदेशानुसार तत्काल आदिवासी रैयत के वारिसों को मुआवजा भुगतान करेंगे। उक्त मुआवजा का निर्धारण अपीलीय न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशानुसार विशेष विनियमन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। आदेश की एक प्रति विशेष विनियमन पदाधिकारी को प्रेषित करें जो उनके द्वारा एक माह के भीतर मुआवजा की राशि का निर्धारण करते हुये अगले दो माह में उसका भुगतान सुनिश्चित कराया जायेगा। मुआवजा भुगतान नहीं होने की स्थिति में आदिवासी रैयतों को प्रश्नगत् भूमि पर दखल–दिहानी दिलाने की कार्रवाई की जायेगी। लेखापित एवं संशोधित (हस्ताक्षर) 7/5/22 प्रमण्डलीय आयुक्त (हस्ताक्षर) 7/5/22 प्रमण्डलीय आयुक्त	

Digitally signed by NITIN MADAN KULKARNI
Date: 2022.07.23 15:42:06 +05:30
Location: 192.168.1.40